रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2015/आश्विन 1, 1937
No. 2056] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015/ASHWINA 1, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

का.आ. 2605(अ).—योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 22 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) उक्त अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन गठित की जाने वाली परिषद्, एक केंद्रीय निकाय, की संरचना का उपबंध करती है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) का खंड (ख) भारत की संसद् के दो सदस्य (लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य), पदेन, का उपबंध करता है;

और धारा 33 की उपधारा (2) का खंड (ड) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक महिला होगी और एक एक नगरीय और प्रादेशिक योजना से होगा, जिनके पास वास्तुकला या भू-दृश्य वास्तुकला या नगरीय डिजाइन की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, पदेन, का उपबंध करता है;

और उक्त अधिनियम के पूर्वोक्त उपबंधों को प्रभावी करने में निम्नलिखित कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं :--

(क) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ख) में आने वाला 'पदेन' शब्द संगत नहीं है क्योंकि संसद् के सदस्यों को माननीय सभापति या अध्यक्ष द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाता है और इसलिए वे पदेन पद नहीं हैं ;

(ख) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ड) में आने वाला 'पदेन' शब्द संगत नहीं है क्योंकि कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विख्यात व्यक्ति योजना या भू-दृश्य वास्तुकला या नगरीय डिजाइन और नगरीय और प्रादेशिक योजना की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं और इसलिए वे पदेन पद नहीं हैं ;

और उक्त अधिनियम की धारा 34 परिषद् के सदस्यों की पदावधि उनके बीच रिक्तियों और उन्हें संदेय भत्तों का उपबंध करती हैं ;

और उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के उपबंध को प्रभावी करने में निम्नलिखित कठिनाई उत्पन्न हो गई हैं :--

धारा 34 की उपधारा (3) में आने वाले शब्द 'जिसने उसे निर्वाचित किया है' संगत नहीं हैं क्योंकि संसद् के सदस्यों को माननीय सभापति या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है और उन्हें सदन द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है जैसा कि उपधारा में वर्णित है ;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस आदेश का नाम योजना और वास्तुकला विद्यालय (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2015 है ।

(2) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 में :--

(क) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंत में आने वाले 'पदेन' शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ड) में अंत में आने वाले 'पदेन' शब्द का लोप किया जाएगा ; और

(ग) धारा 34 की उपधारा (3) में आने वाले 'जिसने उसे निर्वाचित किया है' शब्द का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 3-7/2015-टीएस.VI]

आर. सुब्रमनियम, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

ORDER

New Delhi, the 21st September, 2015

S.O. 2605(E).—Whereas, the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) came into force on 22nd day of January, 2015;

And whereas, sub-section (2) of section 33 of the said Act provides for the composition of the Council, a central body to be established under sub-section (1) of section 33 of the said Act;

And whereas, clause (b) of sub-section (2) of section 33 of the said Act provides that two Members of the Parliament of India (one Member to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and one Member to be nominated by the Chairman of Rajya Sabha), *ex-officio;*

And whereas, clause(m) of sub-section (2) of section 33 of the said Act provides that three persons to be nominated by the Visitor, atleast one of whom shall be a woman, having special knowledge or practical experience in respect of Architecture or Landscape Architecture or Urban Design and one from Urban and Regional Planning, *ex-officio;*

And whereas, the following difficulties have arisen in giving effect to the above provisions of the said Act:-

(a) the word *'ex-officio'* appearing in clause (b) of sub-section (2) of section 33 is not relevant as Members of Parliament are nominated by Hon'ble Chairman or Speaker from amongst the Members of both the Houses and hence these are not *ex-officio* posts;
(b) the word *'ex-officio'* appearing in clause (m) of sub-section (2) of section 33 is not relevant as three eminent persons are to be nominated by the Visitor having special knowledge or practical experience in respect of Architecture or Landscape Architecture or Urban Design and Urban and Regional Planning and hence these are not *ex-officio* posts;

And whereas, section 34 of the said Act provides for the term of office of vacancies among, and allowances payable to Members of Council;

And whereas, the following difficulty has arisen in giving effect to the provision of sub-section (3) of section 34 of the said Act:-

the words "which elected him" appearing in sub-section (3) of section 34 are not relevant as Members of Parliament are nominated by the Hon'ble Chairman or Speaker and not elected by the House as mentioned in the sub-section;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014), the Central Government hereby makes the following order to remove the aforesaid difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the School of Planning and Architecture (Removal of Difficulties) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the School of Planning and Architecture Act, 2014:-

(a) in section 33, in sub-section (2), in clause (b), the word '*ex-officio'* occurring at the end shall be omitted;
(b) in section 33, in sub-section (2), in clause (m), the word '*ex-officio'* occurring at the end shall be omitted; and
(c) in section 34, in sub-section (3), the words "which elected him" occurring at the end shall be omitted.

[F. No. 3-7/2015-TS.VI]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.